



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1390

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19416 वर्ष 2025

महिला कांस्टेबल सोनिया

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता : मोहम्मद उमर खान

प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद उमर खान और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने इस आधार पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.11.2018 का है और यह याचिका सात वर्ष बाद दायर की गई है। उनका निवेदन है कि यदि कोई अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है, तो रिट याचिकाकर्ता के लिए उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर देना सर्वथा खुला है। यदि कोई आदेश पारित हो चुका है, तो वह उसे उपयुक्त पीठ के समक्ष चुनौती दे सकता है।
3. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. रिट याचिका का तदनुसार निस्तारण कर दिया गया है।

6 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)